अध्याय 3

पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली

नीति/नियमावली के रूप में एक पूर्ण रूप से लिखित पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली श्रमबल के न्यायोचित आवंटन, उत्तरदायित्व सौंपने/प्रत्यायोजन तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों को क्रियान्वित तथा संशोधित करने में एक उपकरण के रूप में कार्य करती है।

3.1 कॉरपोरेट पर्यावरण नीति

3.1.1 सीआईएल की कॉरपोरेट पर्यावरण नीति (सीईपी) वास्तव में दिसबंर 1995 में इसके निदेशक बोर्ड (बीओडी) द्वारा स्वीकृत की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एनईपी) भारत सरकार द्वारा सितंबर 2006 में बनाई गई थी। एनईपी में निर्धारित विषयों पर कार्य योजना बनाने तथा एनईपी के साथ सुसंगत होने वाली अपनी स्वयं की पर्यावरण सरंक्षण रणनीति बनाने के लिए सभी सबंधित-केन्द्र, राज्य/यूटी और स्थानीय को आज्ञा दी थी। तथापि, सीआईएल ने अपनी मूल सीईपी में संशोधन किया तथा केवल मार्च 2012 में एक व्यापक पर्यावरणीय नीति (नीति) बनाई। एनईपी के अनुसार रिकॉर्ड में इसके संशोधन में छः वर्षों के विलंब हेतु कोई कारण नहीं पाया गया।

हमने यह भी पाया कि सीआईएल में प्रचलित नीति मार्च 2017 में संशोधन हेतु निश्चित थी। तथापि इसकी समीक्षा की गई तथा 20 माह के विलंब के पश्चात दिसंबर 2018 में संशोधित नीति बनाई गई थी।

3.1.2 अनुषंगी कंपनियों की परियोजनाओं हेतु समय-समय पर ईसी देते समय, एमओईएफ एंड सीसी ने अनुबंधित किया कि अनुषंगी कंपनियों के निर्देशक बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकृत एक बेहतर वर्णित पर्यावरण नीति बनाने की आवश्यकता है। हमने पाया कि इसकी सात कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनियों में से छः[6] ने इस तर्क पर अधिदेशित अनुसार नीति

[6] ईसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, एनसीएल और एमसीएल

नहीं बनाई थी कि उन्होंने सीआईएल द्वारा निर्मित नीति का अनुसरण किया था। उन्होंने आगे पाया कि सीआईएल की नीति को विवेचन हेतु बीसीसीएल को छोड़कर इन अनुषंगी कपंनियों के निदेशक बोर्ड के समक्ष भी नहीं रखा गया जिससे ईसी में अनुबंधित अनिवार्य शर्तों की अवमानना हुई। हमने यह भी पाया कि अनुपालन हेतु बीसीसीएल के निदेशक बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति को संशोधित नहीं किया गया क्योंकि इसने सीआईएल द्वारा निर्मित नीति का अनुसरण किया था।

एक स्वीकृत नीति के अभाव में भिन्न अनुषंगी कंपनियां निम्न पैरा 7.1.3.2, 7.1.3.3 और 7.3.1.2 में चर्चित अनुसार भिन्न तरीके से एकसमान मामलों का निपटान करती है। इसने पर्यावरणीय गतिविधियों के क्रियान्वयन में विवेकशीलता की गुंजाइश भी प्रस्तुत की। एग्जिट कान्फ्रेंस में, अनुषंगी कंपनियों ने यह कहा (नवंबर 2018) कि सीआईएल की संशोधित नीति उनके संबंधित निदेशक बोर्ड को भेजी जाएगी। आगे का विकास प्रतीक्षित है (नवंबर 2018)।

3.1.3 हमने यह भी पाया कि यद्यपि पर्यावरण अनुशासन में विभिन्न स्तरो पर उत्तरदायित्व तथा प्रत्यायोजन से संबंधित दिशानिर्देश सीआईएल द्वारा बनाए गए थे तथापि, अनुषंगी कंपनियों द्वारा उनकी परिचालन नियमावली से मेल नहीं खाते थे।

लेखापरीक्षा सारांश

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपनी मूल कॉरपोरेट पर्यावरण नीति (सीईपी) को संशोधित किया तथा मार्च 2012 में एक व्यापक पर्यावरण नीति बनाई गई, जिसके बाद दिसंबर 2018 में एक संशोधित नीति बनाई गई। यद्यपि सीआईएल की सात कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनियों में से छः ने एमओईएफएंडसीसी द्वारा उस अधिदेश अनुसार कोई नीति नहीं बनाई जिसमें यह अनुबंधित था कि अनुषंगियों के निर्देशक बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकृत एक बेहतर वर्णित पर्यावरणीय नीति बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यद्यपि पर्यावरण अनुशासन में विभिन्न स्तरो पर उत्तरदायित्व तथा प्रत्यायोजन से संबंधित दिशानिर्देश सीआईएल द्वारा बनाए गए थे तथापि, अनुषंगियों द्वारा उनकी परिचालन नियमावली से मेल नहीं खाते थे।